1. रणजीतसिंह
2. सुल्तानसिंह | पुत्रगण माघोसिंह | जातियान राजपूत निवासीगण धर्मास श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. कालूसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. चन्द्र कंवर पत्नी स्व. भंवरसिंह
3. मुन्नीकंवर
4. किरण कंवर | पुत्रियां स्व. भंवरसिंह | जातियान राजपूत निवासीगण धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. कानू कंवर

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

उपस्थितिः—

1. श्री साजिद खान अभिभाषक वादी
2. श्री ओमप्रकाश बारोटिया अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3 ता 5
3. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

यह प्रार्थना पत्र रणजीत सिंह वगैरह ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण गांव धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ के मूल निवासीगण है, प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 80 तादादी 2.90 हैक्टेयर वाकेरोही धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। प्रार्थीगण के हिस्सा के आये खेत खसरा नम्बर 80 की भूमि का नक्शा तरमीम करते समय पटवारी हल्का द्वारा नक्शा तरमीम कर प्रार्थीगण का रकबा 2.90 हैक्टेयर पुरा दर्शा दिया परन्तु मौके पर नाप नहीं किया गया। प्रार्थीगण तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष अपने खातेदारी खेत की पेमाईश करवाने के लिए आवेदन किया तो तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़ के आदेश क्रमांक भू.अ./20/53 दिनांक 20.02.2020 की पालना में दिनांक 18.08.2020 को हल्का पटवारी धर्मास प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 80 रोही धर्मास की पेमाईश करने हेतु मौके पर पहुंचा। मौके पर प्रार्थीगण स्वयं मौजूद था। हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण के खेत का नाप किया तो मौके पर प्रार्थीगण की भूमि नक्शा के अनुसार सीमा ज्ञान करवाया गया परन्तु अप्रार्थी [illegible] ने पट्टी बाड़ करने से मना कर दिया जिस पर पटवारी हल्का [illegible] के निर्देशन में फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई कि 'आज दिनांक 18.08.2020 को श्रीमान तहसीलदार के आदेश क्रमांक भू.अ./ 20/53 दिनांक 20.02.2020 की पालना में प्रार्थी [illegible] रणजीतसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी धर्मास के खेत खसरा नम्बर 80 तादादी 2.90 हैक्टेयर के सीमाज्ञान हेतु मौके पर प्रार्थी व अन्य मौतवीरान व्यक्तियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

की साथ पहुंची। मौके पर नक्शा सीट के मुताबिक मैट्रिक जरीब चलाकर सीमाज्ञान करवाया गया।' मौके पर खसरा नम्बर 80 का रकबा मुताबिक राजस्व रिकार्ड 2.90 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है परन्तु मौके पर पटवारी ने पत्थर गढ़ी अप्रार्थी संख्या 1 के मना करने पर नहीं करवाई, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास खेत की पेमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। खातेदार भंवरसिंह की मृत्यु हो चुकी है। भंवरसिंह के वारिसानों में प्रार्थी सं. 3 व अप्रार्थी सं. 2 ता 5 हुए है इसलिए अप्रार्थी सं.2 ता 5 आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार संयोजित किया गया है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ राजस्व रिकार्ड का संधारणकर्ता होने एवं तहसीलदार के आदेशानुसार ही पटवारी हल्का द्वारा वर्णित खेत की पेमाईश की फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई है इसलिए स्टेट आवश्यक पक्षकार है। वर्णित खेत रोही ग्राम धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढ़ी न्यायालय श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 80 तादादी 2.90 हैक्टेयर रोही धर्मास श्रीडूंगरगढ़ की पेमाईश करवाई जाकर पत्थरगढ़ी करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान किया जावे व आदेश की पालना अप्रार्थी से करवाई जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 05 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया राजीनामा पेश किया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया यदि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 80 रोही धर्मास में पत्थरगढ़ी आदेश प्रदान किया जाते है तो कोई आपति नही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में कोई आपति नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

खाता संख्या 49 नया 52 पुराना खसरा नम्बर 80 रकबा 2.9000 हैक्टेयर रोही ग्राम धर्मास की प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000/—रू. की कोस्ट पर मौका कमिशनर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिशनर प्रार्थीगण द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीण से जमा कर भूमि की पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील पूर्ति नम्बर से कम होकर [illegible] दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:04 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)